

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 429/2012/जोधपुर

मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेज, जोधपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-द्वितीय, वृत्त-डी, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

लिखित बहस प्राप्त

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा, उप राज.अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 4/आरवेट/जेयूडी/11-12 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 30.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-द्वितीय, वृत्त-डी, जोधपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/24 के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 हेतु पारित आदेश दिनांक 27.01.2011 के जरिये अभिनिर्धारित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवसायी द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर का व्यापार किया जाता है। वर्ष 2008-09 में उसके द्वारा मोटर 12.5 प्रतिशत की कर दर से खरीद की जाकर उसमें से 3,55,126/- की मोटर 4 प्रतिशत की दर से विक्रय की गई तथा प्रस्तुत विवरण पत्रों में इस राशि की बिक्री को पम्प दर्शाया गया। आईटीसी को अधिक होने से आगामी विवरण पत्रों में अग्रेषित किया गया। निर्धारण अधिकारी ने इलेक्ट्रिक मोटर पर 12.5 प्रतिशत की कर दर निर्धारित करते हुए 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज एवं करवंचना करने पर धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी आदेश के विरुद्ध व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवसायी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।
4. व्यवसायी अपीलार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने तर्क रखे कि व्यवहारी एक पंजीकृत व्यवसायी है, उसके द्वारा सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल मोटर्स का विक्रय किया जाता है, उस पर 4 प्रतिशत से जो कर वसूली की गई वह केपीटल गुड्स के रूप में विधिसम्मत रूप से की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ12(15)एफ.डी./टैक्स/2008 पार्ट 54 दिनांक 27.08.2008 के द्वारा केपीटल गुड्स के विक्रय किये जाने पर 4 प्रतिशत की ही कर दर अधिरोपित होगी। दिनांक 26.07.2008 को धारा 36 के तहत अतिरिक्त आयुक्त (विधि) द्वारा पारित निर्णय के पश्चात जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य अभिनिर्धारित किया गया था, के पश्चात केपीटल गुड्स पर 4 प्रतिशत की कर दर अधिसूचना दिनांक 27.08.2008 के जरिये लागू करते हुए घोषणा पत्र की

.....2.

अनिवार्यता की गई थी। दिनांक 27.08.2008 से पूर्व भी इलेक्ट्रिक मोटर को केपीटल गुडस मानते हुए 4 प्रतिशत की कर दर ही लागू है, इस संबंध में व्यवहारी द्वारा अपने क्रेताओं से घोषणा पत्र भी प्राप्त कर लिये थे। उक्त विक्रय राशि रुपये 3,55,126/- में से 17,500/- का विक्रय अधिसूचना दिनांक 27.08.2008 के पश्चात की है। अतः उन्होंने मोटर को केपीटल गुडस मानते हुए 4 प्रतिशत की कर दर लागू किये जाने का निवेदन किया।

5. साथ ही उन्होंने हाल ही में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1892/2008/जोधपुर मैसर्स गुलाब आर्ट हेण्डीक्राफ्ट, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त डी, जोधपुर निर्णय दिनांक 19.09.2016 का उल्लेख किया, जोकि इस प्रकरण पर पूर्णतया आच्छादित है। व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि केपीटल गुडस की कर दर के संबंध में जो meaning निर्धारित की वह निम्न है :-

Electric motor is a machine which converts electric power into mechanical energy and produce motion to a muscle or nerve of machine to go. Electric motor is not electrical goods, this is a part of machine and liable to tax @ 4% covered by the entry at s.no. 27 of schedule IV.

विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस में कर विधि के तहत प्रविष्टियों के निर्वचन पर कर वंचना हेतु शास्ति आरोपित नहीं होने के संबंध में निम्न न्यायिक विनिश्चयन प्रस्तुत किये :-


1. CTO (A-E), Sriganganagar Vs Ms Durgeshwari Foods Ltd. 32 Tax Update page 3
2. Commissioner of Income Tax Vs Reliance Petroproducts Pvt. Ltd. 322 ITR pg 158
3. ACTO, Jodhpur Vs Nirali Dhani 35 Tax Update pg 269
4. Uniflex Cables Ltd. Vs Commsissioner Central Excise, Surat 40 PHT pg 28
5. Sree Krishna Electricals Vs State of Tamil Nadu and another 23 VST pg 249
6. Dasu Ram Nautan Dass Vs State of Punjab and another 32 PHT pg 491
7. Lord Venketeshwar Caterers Vs CTO Anti-evasion 8 VAT Rep. pg 264

अतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया तथा कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश उनको प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किये गये है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी पर जो करारोपण किया है, वह विधिसम्मत है। इलेक्ट्रिक मोटर पर कर दर 12.5 प्रतिशत है, व्यवसायी द्वारा जानबूझकर कर दायित्व से बचने के लिये शिड्यूल में वर्णित प्रविष्टियों के निर्वचन की आड में कम दर से कर का भुगतान किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को उचित व विधिनुकूल बतलाते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड एवं लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का अध्ययन किया गया। हाल ही में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1892/2008/जोधपुर मैसर्स गुलाब आर्ट हेण्डीक्राफ्ट, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त डी, जोधपुर निर्णय दिनांक 19.09.2016 का सुसंगत उल्लेख निम्नानुसार है:-

"Against the background of factual and legal matrix of the case in the foregoing account, We conclude that entry no. 27 in Schedule as it stood before 27.08.2008, conveyed a wider sense, including not only Pant and Machinery, but also encompassing part and accessories thereof, and thus rendered in unmistakable terms electric motor as embedded therein. With no restraining provision in force functional applicability of the aforesaid entry entry no. 27



of Schedule to the RVAT Act far outweighed the parochial interpretation indulged in by the ACCT in the process of the impugned determination order having regard to tax on electric motors. Even otherwise Electric Motor when sold alone embraces term, "part and accessory of the plant and machinery" in given sense, because also unless legally restricted for a varying use by a specific statutory provision in force, how a warped version of the wording for the impugned entry could be used to deny benefit of beneficial construction to the appellant assessee of four percent tax on its commodity in the light of clause (6) of section 2 read with entry 27 of Schedule IV to the RVAT Act and therefore electric motor naturally fell in the entry no. 27; hence taxable at the rate of 4%.

Since there is no room for two fold taxation on the same commodity in the RVAT Act and in keeping with law enunciated in the aforesaid case of Assistant Commissioner, Special Circle, Bhilwara Vs M/s Shree Alloys Industries Pvt. Ltd. Bhilwara (Supra), it is held that the value added tax on the impugned commodity, that is, electric motor would be charged to tax@ four per cent in the relevant period under dispute in absence of an otherwise enabling statutory clause providing for sale with a rider before the aforesaid date 27.08.2008 to bring it to the excepted category of residual rate of IV Schedule annexed to the RVAT Act.

As the schedules annexed to the RVAT Act set out the scheme of tax rates, they are necessarily part of the Act. The present issue mainly revolves ground several facts of uses of the electric motor in different walks of life and draws its strength from the rate schedules to the RVAT Act which are its umbilical chord. Decision on the impugned appeal regarding tax rate on electric motor to be decided herein below would be applicable and confined to the transactions till 27.08.2008.

Therefore, appeal of the appellant in facts and circumstances of the case as enumerated in foregoing paras is accepted inasmuch electric motor would be liable to tax at the rate of four per cent, to all intents and purposes, in the relevant period under consideration. Also, aside from it, the impugned determination order, dated 19.07.2008, on account of above decision having found it so seriously flawed as to render it meaningless, is set aside."


8. उपरोक्त विवेचन के अनुसार व्यवहारी द्वारा दिनांक 27.08.2008 से पूर्व बिक्रीत इलेक्ट्रिक मोटर्स केपिटल गुड्स होने के कारण उस पर अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 27 के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की जाती है। चूंकि व्यवहारी ने दिनांक 27.08.2008 के पश्चात इलेक्ट्रिक मोटर की बिक्री बतौर केपिटल गुड्स विनिर्माताओं को की है, जिसके संबंध में उसने विहित घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत कर दिये हैं अतः इस तिथि के पश्चात की बिक्री पर भी 4 प्रतिशत की करदेयता ही होगी। चूंकि इलेक्ट्रिक मोटर पर 4 प्रतिशत करदेयता है अतः आगत कर भी 4 प्रतिशत की दर से ही लेने का हकदार होगा। व्यवहारी पर अन्य कोई कर दायित्व नहीं बनता है, अतः उस पर आरोपित ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।


9. शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30.11.2011 अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


3.11.2012
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष